इजराइल, हमास और युद्ध के कानून

द हिंदू

पेपर-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

7 अक्टूबर को, फिलिस्तीन स्थित आतंकवादी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए और कई बंधक बना लिए गए। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की है, जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ गया है।

युद्ध के नियम क्या हैं?

युद्धों से संबंधित दो अलग और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रश्न हैं। पहला, किन परिस्थितियों में या कब देश अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल का प्रयोग कर सकते हैं? इसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) चार्टर द्वारा विनियमित जूस एड बेलम के रूप में जाना जाता है। दूसरा, युद्ध कैसे लड़ा जाए, यानी कौन सी सैन्य कार्रवाई की अनुमति है? इसे बेलो में जूस के नाम से जाना जाता है। यह मानते हुए कि किसी देश को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बल प्रयोग करना उचित है, फिर भी उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने दायित्वों को पूरा करता है। बल प्रयोग का औचित्य किसी देश को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे बल का प्रयोग करने के दायित्व से मुक्त नहीं करता है।

बल प्रयोग के 'कैसे' या युद्ध के कानून को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) के रूप में जाना जाता है, जो उन नियमों को प्रदान करता है जिनका सशस्त्र संघर्ष के दौरान पालन किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून, 1949 के जिनेवा कन्वेंशन और 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल में निहित है। यह सशस्त्र संघर्ष में शामिल पार्टियों या समूहों के आचरण को नियंत्रित करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की रक्षा करना और युद्ध से होने वाली पीड़ा को कम करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध लड़ने का कारण कितना उचित है, युद्धरत पक्षों को आईएचएल का अनुपालन करना होगा।

क्या युद्ध के कानून चल रहे सैन्य संघर्ष पर लागू होते हैं?

हाँ, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच सैन्य संघर्ष एक सशस्त्र संघर्ष है। जैसा कि पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने अभियोजक बनाम डुस्को टैडिक मामले में माना था, अंतरराष्ट्रीय कानून में एक सशस्त्र संघर्ष तब मौजूद होता है जब "राज्यों के बीच सशस्त्र बल का सहारा लिया जाता है या सरकारी अधिकारियों और संगठित सशस्त्र समूहों के बीच या उनके बीच लंबे समय तक सशस्त्र हिंसा होती है।" एक राज्य के भीतर ऐसे समूह। अंतर्राष्ट्रीय कानून सशस्त्र संघर्षों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है - अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (IAC) और गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष (NIAC)। जिनेवा कन्वेंशन के सामान्य अनुच्छेद 2 के अनुसार, IAC में दो या दो से अधिक देशों के बीच घोषित युद्ध या किसी अन्य सशस्त्र संघर्ष के सभी मामले शामिल हैं। एनआईएसी में सरकारी बलों (इजराइल) के साथ लड़ाई में शामिल गैर-सरकारी बल (हमास) शामिल हैं। जिनेवा कन्वेंशन का सामान्य अनुच्छेद 3 एनआईएसी पर लागू होता है। इस प्रकार, इजराइल और हमास अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

नागरिक हत्याओं के बारे में क्या?

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि सशस्त्र संघर्ष के दौरान, लड़ाकों और नागरिकों के बीच हमेशा अंतर किया जाता है। युद्ध दल केवल लड़ाकों और सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, नागरिकों और नागरिक वस्तुओं पर नहीं। लड़ाकों और नागरिकों के बीच अंतर करने में विफल रहने वाले अंधाधुंध हमले निषिद्ध हैं और इसलिए अवैध हैं। तदनुसार, हमास द्वारा नागरिकों की हत्या अवैध है।

1967 से फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल का अवैध और जुझारू कब्जा हमास को इजरायली नागरिकों को मारने, घायल करने, अपहरण करने या यातना देने या नागरिक प्रतिष्ठानों को लक्षित करने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, कोई भी सैन्य हमला जो नागरिकों को असंगत नुकसान पहुंचाता है, जब अपेक्षित सैन्य लाभ के विरुद्ध आंका जाता है, तो उसे रोक दिया जाता है। कथित तौर पर इजराइल ने गाजा पर 6,000 बम गिराए, जिससे व्यापक विनाश और मौतें हुईं। यह बल का असंगत प्रयोग है. इजराइल पर हमास का भयानक हमला इजराइल द्वारा गाजा में नागरिक आबादी को असंगत नुकसान पहुंचाने को उचित नहीं ठहराता। यह सब 1949 जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन है और युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है।

क्या बंधक बनाना कानूनी है?

हमास ने इजराइलियों को बंधक बना लिया है. ये गैरकानूनी है. बंधक बनाने को विशेष रूप से रोम संविधि के अनुच्छेद 8 द्वारा युद्ध अपराध के रूप में मान्यता दी गई है – अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली एक संधि। बंधक बनाने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का अनुच्छेद 1 बंधक बनाने को अपराध के रूप में मान्यता देता है।

गाजा पट्टी नाकाबंदी के बारे में क्या?

गाजा पट्टी में भोजन, बिजली, पानी और ईंधन की आपूर्ति को अवरुद्ध करने की इजराइल की योजना, जहां करीब दो मिलियन लोग रहते हैं, सामूहिक दंड के समान है – उस समूह से संबंधित व्यक्तियों के आचरण के लिए एक समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई।

यह कार्रवाई 2007 के बाद से गाजा पट्टी की पहले से ही कठोर वायु और समुद्री नाकाबंदी को और खराब कर देगी। ऐसी कार्रवाई आईएचएल के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करती है कि किसी भी व्यक्ति को उन कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जो उन्होंने नहीं किए हैं। हमास के कार्यों के लिए सभी गाजा पट्टी निवासियों को दंडित करना अवैध और युद्ध अपराध है।

इसके अतिरिक्त, आईएचएल के तहत, युद्धरत पक्षों को हमला करने से पहले नागरिकों को वहां से हटने की अग्रिम चेतावनी देनी होगी, जो प्रभावी होनी चाहिए। यदि नागरिकों को खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, तो चेतावनी अप्रभावी होगी।

गाजा पट्टी के निवासियों को इजराइल की चेतावनी असरदार नहीं है। हवाई और समुद्री नाकेबंदी को देखते हुए, नागरिकों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने की वास्तविक संभावना नहीं है। किसी भी स्थिति में, चेतावनी के बावजूद बाहर नहीं निकलने वाले नागरिकों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए।

दोनों पक्षों को अपने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून दायित्वों का सम्मान करने की आवश्यकता है और किए गए युद्ध अपराधों की जांच शुरू की जानी चाहिए।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. युद्ध के कानून को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून कहते हैं।
2. यह कानून प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून और 1949 के जिनेवा कन्वेंशन में निहित है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of The international humanitarian law (IHL)-

1. The law of war is called international humanitarian law.
2. This law is enshrined in customary international law and the Geneva Conventions of 1949.

Which of the statements given above is/ are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : c

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : "दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति में कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं। इनमे संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका होती है?"

उत्तर का दृष्टिकोण:

- उत्तर के पहले भाग में दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की चर्चा करें।
- अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।